न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
151 /2021

निर्णय दिनांक
22/06/2022

अनवान

1. मांगुपुरी पिता दीपापुरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. भैरुपुरी पिता दीपापुरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. नारायणपुरी पिता मांगुपुरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. जगन्नाथपुरी पिता दीपापुरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. खुमाणीबाई पत्नी छगनगिरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---वादीगण

।।बनाम।।

1. पुरणगर पिता उदागर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भैरुगर पिता उदागर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. शंभुगर पिता लक्ष्मणगर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. श्यामगिरी पिता लक्ष्मणगिरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. कैलाशगर पिता लक्ष्मणगर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. मोहनी पत्नी लक्ष्मणगिरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

---प्रतिवादीग

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

अन्तर्गत धारा 183,188 व 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955
उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह पंवार
उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण उदयलाल गाडरी

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183,188 व 209 के तहत की वादी के आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि आरजीयात ग्राम देवाखेडा, पटवार हल्का लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 16 रकबा 2.07 हैक्टयर, कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है जिस पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादीगण इस पर शांति पुर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात के पास ही प्रतिवादीगण की आराजीयात स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी वे जबरन धीरे धीरे कर वादीगण की आराजीयात के रकबे को दबाता चला आ रहा है तथा वादीगण द्वारा विरोध करने पर मानने को तैयार नहीं होते है तथा झगडा करने पर आमदा रहते है जिसे पर वादीगण ने विधिवत तौर से आराजीयात की नपती कराने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 52/2021 दर्ज हुआ तदुपरांत माननीय न्यायायल द्वारा आदेश पारित कर तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त कर पत्थरगढी कराने का आदेश पारित किया जिस पर भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा प्रतिवादीगण को सूचना के लिए नोटिस दिनांक 07/06/2021 को जारी किये नियत दिनांक 16/06/2021 को मौके पर पहुंच मौके पर वादी उपस्थित प्रतिवादीगण में से किसी ने सूचना पत्र नहीं लिया मौके पर आये सहयोग नहीं किया। पटवारी हज्का द्वारा प्रदत्त राजस्व रेकार्ड में अंकित मुस्तकील मुकाम आराजी नम्बर 24 आ.चा को आधार मान कर नपती की गई। मौके पर दौराने नपती आये गये निशनात बताये गये एवं निशान करवाये गये। प्रतिवादीगण ने बताये गये निशानात पर असहमति जताई, आराजी नम्बर 16 की पूर्व पश्चिमी मेड जो सीधी है उस पर नियाान लगवाये गये। आराजी नम्बर 16 में आराजी नम्बर 15 एवं 17 के उत्तरी पूर्वी कोने से 20 मीटर तक प्रतिवादी की तार बंदी की हुई है। आराती नम्बर 16 के मध्य में तारबंदी तक 0 मीटर प्रतिवादीगण एवं आराजी नम्बर 16 की पूर्वी उत्तरी कोने पर 6 मीटर तक प्रतिवादीगण का कब्जा है जिसे नक्शे अनुसार दर्शाया गया है। पर्चा मौका तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से उनके द्वारा किये गये उक्त अवैध अतिचार हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा धमकीया देने लगे कि जमीन का कब्जा हम तुम्हे नहीं सौपेगे,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

तुम्हारे में दम हो वो कर लेना। इस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर प्रतिवादीगण को पाबंद किया गया कि वादीगण की आराजीयात पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। जेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हो रहे है जिससे यह वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी हेतु न्यायालय आपमें पेश है।

यह कि वादीगण ने अपने स्तर पर प्रतिवादीगण का अवैध अतिचार हटावाने हेतु काफी प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हो रहे है तथा वादीगण को उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात का समुचित तौर से सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करने नहीं दे रहा है इसलिए प्रतिवादीगण का जिस कदर व जैसा भी अवैध कब्जा है उसे जरिये अदालत हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सिपूर्द करवाया जाना न्यायोचित है। तथा प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो आराजीयात का कब्जा किसी अन्य को अन्तरित नहीं करे न करावें। तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो।

यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण अभी दिनांक 25/07/2021 को वादीगण ने प्रतिवादीगण ने को अवैध अतिचार हटा कर कब्जा वादीगण के सिपूर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये एवं आराजी का अवैध अतिचार अन्य को अनरित करने की धमकिया दी तब से पैदा होकर निरंतर जारी है।

यह कि वाद पत्र में अंकित आराजी नम्बर 16 में आराजी नम्बर 15 एवं 17 के उत्तरी पूर्वी कोने से 20 मीटर तक प्रतिवादीगण की तार बंदी की हुई है। आराजी नम्बर 16 के मध्य में तारबंदी तक 0 मीटर प्रतिवादीगण एवं आराजी नम्बर 16 की पूर्वी उत्तरी कोने पर 6 मीटर तक प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा जिस कदर भी हो वह जरिये अदालत हटाया जाकर कब्जा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वो वादग्रस्त आराजीयात पर किये गये अवैध अतिचार की भूमि का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें न करावे तथा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करें जिससे वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

त्रावली का अवलोकन किया वादीगण के कथनों पर मनन किया वादीगण द्वारा स्तुत वाद पत्र ग्राम देवाखेडा, पटवार हल्का लेसवा तहसील भदेसर जिला

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

चौड़गढ़ के खाता संख्या 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 16 रकबा 2.07 हैक्टयर,कृषि भूमि में अंकित आराजी नम्बर 16 में आराजी नम्बर 15 एवं 17 के उत्तरी पूर्वी कोने से 20 मीटर तक प्रतिवादीगण की तार बंदी की हुई है। आराजी नम्बर 16 के मध्य में तारबंदी तक 0 मीटर प्रतिवादीगण एवं आराजी नम्बर 16 की पूर्वी उत्तरी कोने पर 6 मीटर तक प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात से वादीगण को बेदखल कर आराजी किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस वदिगर तरिके से मुन्तकील न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें इस हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जावें। जिससे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत ग्राम देवाखेडा, पटवार हल्का लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 16 रकबा 2.07 हैक्टयर,कृषि भूमि में अंकित आराजी नम्बर 16 में आराजी नम्बर 15 एवं 17 के उत्तरी पूर्वी कोने से 20 मीटर तक प्रतिवादीगण की तार बंदी की हुई है। आराजी नम्बर 16 के मध्य में तारबंदी तक 0 मीटर प्रतिवादीगण एवं आराजी नम्बर 16 की पूर्वी उत्तरी कोने पर 6 मीटर तक प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात से वादीगण को बेदखल कर आराजी किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस वदिगर तरिके से मुन्तकील न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। आराजी नम्बर 16 में आराजी नम्बर 15 एवं 17 के उत्तरी पूर्वी कोने से 20 मीटर तक प्रतिवादीगण की तार बंदी की हुई है। जिसका कब्जा वादीगण को दिलाया जावें एवं आराजी नम्बर 16 के मध्य में तारबंदी तक 0 मीटर प्रतिवादीगण एवं आराजी नम्बर 16 की पूर्वी उत्तरी कोने पर 6 मीटर तक प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजीयात की नपती करते हुए वादीगण को कब्जा सपूर्द करने का आदेश दिया जाता है। इसी आशय की डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22/06/2022 को सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़